1

संख्याः 2589/38-7-2008-351एनआरईजीए/2008 प ्रेषकः
रोहित नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प ्रदेष षासन।
सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/
मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 दिनांकः31 अक्टूबर, 2008

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत ग्रामीण आजीविका के आधारभूत संसाधनों के सुदृढ़ीकरण हेतु परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में । महोदय
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005 एवं दिशा निर्देश के अन्तर्गत
राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण आजीविका के आधारभूत संसाधनों के सुदृढ़ीकरण हेतु परियोजना क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका वित्त पोषण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना से किया जायेगा।
2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना की रूपरेखा एवं क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों के दिशा निर्देश निम्नवत् होंगेः-
1. योजना का नाम:
इस योजना को ‘‘ग्रामीण आजीविका के आधारभूत संसाधनों के सुदृढ़ीकरण’’ परियोजना के नाम से क्रियान्वित किया जायेगा।
2. योजना का स्वरूप और उद्देश्य:
सतत् ग्रामीण आजीविका के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास के साथ साथ आजीविका के संदर्भ में दैनिक उपयोग के आधारभूत साधनों व संसाधनों का सुदृढ़ीकरण भी आवश्यक है। ज्ञातव्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के लिए पानी ग्रामीण आजीविका का आधारभूत संसाधन है, जिसके सुदृढ़ीकरण के लिए इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य पीने के लिए स्वच्छ पानी की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा। पेयजल के साथ ही समुचित जल निकासी की व्यवस्था भी आधारभूत संसाधन का अभिन्न अंग है।

2

योजनान्तर्गत अनुमन्य कार्य: उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परियोजना के तहत में निम्न कार्य लिये जायेंगे
ऽ ग्राम की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त स्थलों पर सामुदायिक उपयोग के
लिए तालाब निर्माण व कॅुआ निर्माण। पूर्व निर्मित कूपों का जीर्णोधार, ढकने हेतु सेड एवं जल निकास की व्यवस्था।
ऽ उक्त नवनिर्मित संरचनाओं तथा ग्राम में स्वच्छता व पीने के पानी के लिए
पूर्व से मौजूद संरचनाओं जैसे तालाब, कुयें, हैण्डपम्प इत्यादि में जल संरक्षण
व भूजल संवर्धन हेतु इन संरचनाओं के कैचमेंट एरिया में अर्थात संबंधित माइक्रोवाटरशेड में कंटूर ट्रेंच, परकोलेशन तालाब, नाला बंधान, कुआं रिचार्ज इत्यादि के कार्य ।
ऽ नवनिर्मित तथा पूर्व से निर्मित कुआंे एवं हैण्डपम्प के आस पास गंदे पानी के
निपटारे हेतु आवश्यक संरचनाओं तथा सोकपिट का निर्माण। गॉंव से समुचित जल निकासी/डे्रनेज की सुचारू व्यवस्था हेतु कार्य।
3. नरेगा के प्राविधानों से आच्छादन:
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट की अनुसूची 1 के प्रस्तर 1(प) में लिये जाने
वाले कार्यों में ‘‘जल संरक्षण तथा जल संचय’’ का प्रावधान है और प्रस्तर-2 में ‘‘ग्रामीण आजीविका के आधारभूत संसाधनों के सुदृढ़ीकरण’’ को योजना के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में उल्लेखित किया गया है।
4. योजना के लाभार्थी:
योजना का लाभ ग्राम पंचायत में निवास कर रहे सभी व्यक्तियों को प्राप्त होगा।
5. कार्य के चयन की प्रक्रिया:
सर्वप्रथम ग्राम पंचायत में पीने के पानी की आवश्यकता का आकलन किया जायेगा
और इस हेतु वर्तमान में उपलब्ध स्त्रोतों का विश्लेषण भी किया जायेगा। उक्त आकलन तथा विश्लेषण के आधार पर गांव में प्रस्तावित तालाब निर्माण एवं कुआं निर्माण हेतु उपयुक्त स्थलों को इस तरह से चिन्हित किया जायेगा, ताकि गांव के सभी वर्गों के व्यक्तियों को आजीविका सुदृढ़ीकरण हेतु पीने के लिए स्वच्छ पानी के समुचित स्त्रोत उपलब्ध हो सकें। स्थल चयन के साथ-साथ कार्य (तालाब निर्माण अथवा कुआं निर्माण) का भी चयन किया जायेगा। ऐसे गांव जहां भू-जल की उपलब्धता ठीक नहीं है, वहां पर कुएं का चयन के बजाय तालाब निर्माण को

3

प्राथमिकता दी जायेगी। नवनिर्मित किये जाने वाले कुओं तथा गांव में पीने के पानी
के लिए पूर्व से मौजूद कुओं के आस-पास गंदे पानी के निपटारे हेतु सोकपिट निर्माण के लिए भी स्थल का चयन किया जायेगा। पुराने कूप जिनकी सफाई व जीर्णोधार के उपरांत उन्हें उपयोगी बनाया जा सकता है, उनके ढकने व जल निकासी आदि के कार्य भी चयनित किए जाएंगे।
6. कार्य योजना/प्रोजेक्ट बनाने व स्वीकृती की प्रक्रिया:
निर्मित किये जाने वाले कुओं व तालाबों तथा ग्राम में पीने के पानी के लिए पूर्व से मौजूद संरचनाओं जैसे तालाब, कुएं, हैण्डपम्प इत्यादि में जल संरक्षण व भूजल संवर्धन हेतु प्रत्येक संरचना के कैचमेंट एरिया में अर्थात संबंधित माइक्रोवाटरशेड में भूगर्भ जल रिचार्ज के लिए आवश्यक कार्यों का चयन तथा उनके स्थल को चिन्हित
किया जायेगा।
ग्राम प्रधान/सचिव तथा अवर अभियन्ता लघु सिंचाई/जल निगम के द्वारा परियोजना के चयनित कार्य व इसके निर्माण स्थल की उपयुक्तता तथा औचित्य का परीक्षण स्थानीय परिस्थितियों और तकनीकी पहलुओं के आधार पर किया जायेगा। इसके उपरांत तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा परियोजना के चयनित कार्य के डिजाईन व आकार (जैसे कुएं का व्यास व गहराई, तालाब के बंड की लंबाई, चौड़ाई व साइड स्लोप आदि, सोकपिट की लंबाई, चौड़ाई व गहराई, डे्रन के आकार) का निर्धारण किया जायेगा। कुयें के कार्य के साथ इसके चारों ओर जगत के डिजाईन व आकार का भी निर्धारण किया जायेगा। कुएं को आवश्यकतानुसार ढकने की व्यवस्था भी की जाएगी।
परियोजना के चयनित कार्य के डिजाईन व आकार का निर्धारण होने पर अवर अभियन्ता इन कार्यों के अनुमोदन हेतु ग्राम पंचायत को अपनी अनुशंसा प्रेषित करेगा। ग्राम पंचायत अपनी बैठक आयोजित कर परियोजना के कार्यों को अनुमोदित करेगी। तत्पश्चात् इन कार्यों का अनुमोदन ब्लाक पंचायत एवं जिला पंचायत से कराया जावेगा। त्रिस्तरीय पंचायत से अनुमोदन के उपरांत परियोजना के कार्यों को ‘‘शेल्फ आफ प्रोजेक्ट’’ में शामिल किया जायेगा।

‘‘शेल्फ आफ प्रोजेक्ट’’ में शामिल परियोजना के कार्यों के निर्माण हेतु अवर अभियन्ता द्वारा अनुशंसित डिजाईन व आकार के आधार पर प्राक्कलन तैयार किया जायेगा। कुयें के प्राक्कलन में कुयें की जगत, कुये से पानी निकालने के लिए

4

गड़ारी (घिर्री), पानी की निकासी हेतु नाली, गंदे पानी के निपटारे हेतु सोकपिट तथा कुओं को ढांकने के लिए आवश्यक अधोसंरचना की लागत भी जोड़ी जाये। परियोजना के कार्यों की डिजाईन, आकार व प्राक्कलन के निर्धारण के उपरांत प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम - उत्तर प्रदेश के तहत समय-समय पर जारी निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप जारी की जायेगी।
7. फण्ड फ्लो का विवरण:
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी कार्यकारी निर्देश-2008 के पैरा 8.3.2 के प्राविधानों के अनुसार धनराशि का स्थानांतरण जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा ग्राम पंचायतों को किया जायेगा। ग्राम पंचायतें स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष लाभार्थी के खेतों पर कार्य कराएगी। लाभार्थी परिवार के सदस्यों द्वारा स्वयं भी मजदूरी की जा सकती है। योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी मजदूरों को मजदूरी का भुगतान बैंक अथवा पोस्ट आफिस में खुले खाते के माध्यम से किया जायेगा।
8. सामग्री की व्यवस्था:
परियोजना के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की जाएगी।
9. तकनीकी पर्यवेक्षण:
परियोजना का तकनीकी पर्यवेक्षण लघु सिंचाई/जल निगम विभाग द्वारा किया जायेगा।
10. रिपोर्टिंग व अनुश्रवण की व्यवस्था:
उक्त परियोजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य विकास अधिकारी जनपद
स्तर पर उत्तरदायी होंगे। मुख्य विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा) द्वारा कम से कम परियोजना के 10 प्रतिशत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कराया जायगा।
खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपने विकासखण्ड के कार्यों की शत-प्रतिशत निरीक्षण
व अनुश्रवण कराया जायगा। परियोजना के कार्यों की प्रगति की जानकारी दर्शाये गये प्रपत्र में प्रत्येक माह की 7 तारीख तक आयुक्त ग्राम्य विकास को प्रेषित की जायेगी।
11. परिसम्पत्तियों के रख-रखाव का दायित्व व अधिकार:

5

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/ग्राम पंचायत सृजित संसाधनों के रख-रखाव के
लिए जिम्मेदार होगी।
12. ग्राम पंचायत के दायित्व:
ग्राम पंचायत अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप कार्यों का चयन करेगी। चयनित कार्यों की कार्य योजना तैयार कराएगी। तैयार कार्य योजना पर वांछित तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरान्त प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी। ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में निजी तथा सार्वजनिक भूमि पर योजना का क्रियान्वयन भी कराएंगी।
13. क्षेत्र पंचायत के दायित्व:
ग्राम पंचायतों से प्राप्त कार्य योजना को अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करते हुए जिला पंचायतों अपने संस्तुति/मंतव्य सहित अग्रसारित करेगी।
14. संबंधित लाइन विभाग का दायित्व:
योजनांतर्गत लघु सिंचाई विभाग/जल निगम तकनीकी मार्गदर्शन हेतु लाइन विभाग होगा।
कृपया उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
संलग्न: उपरोक्तानुसार।

संख्या–2589 (1)/38–7–2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखिता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) प्रमुख सचिव उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) प्रमुख सचिव, रेशम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(11) प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(12) प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(13) प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(14) प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश शासन।
(15) आयुक्त, ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश , लखनऊ।
(16) प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग,उत्तर प्रदेश।
(17) प्रमुख अभियन्ता, लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश ।
(18) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
(19) निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश।
(20) निदेशक, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश ।
(21) निदेशक, मत्स्य, उत्तर प्रदेश ।
(22) निदेशक, भूमि विकास एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश।
(23) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
(24) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।